

खाबीज
4.08.2024

फर्द अहकाम
(नियम 15)

2025/23

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
असमिना आदि
युनुसखां बनाम
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53,188 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 92 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
25.02.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.03.02025 को पेश हो।	
25.3.2025	<p>वकील ए. एस. कन उपास्थत/PU माड्डे द्वारा पत्रावली पेश की। दिनांक - 20.5.2024</p>	
30.5.2022	<p>वकील ए. एस. कन उपास्थत/PU माड्डे द्वारा पत्रावली पेश की। दिनांक - 28.7.2024</p>	
20.7.2021	<p>वकील ए. एस. कन उपास्थत/PU माड्डे द्वारा पत्रावली पेश की। दिनांक - 27.9.2024</p>	
04.8.2021	<p>वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिलात पेसी पेस करने पर पत्रावली को पेसी में लिखा गया वकील वादी ने निवेदन किया कि वाद-पत्र में वकील वादी का राजीनामा हो गया है इस लिए वाद-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते हैं। मौजूदा रिपोर्ट में खाबीज करवाता चाहते हैं। अतः वाद-पत्र मौजूदा रिपोर्ट में खाबीज की जाती है। पत्रावली मात्र के अन्त ही आग्रह वात 1/19-तकनीक जस्ता दाखिल फर्दत हो।</p>	<p>युनुसखां</p> <p>सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर</p>

